2 दैनिक जागरण पटना, 3 अगस्त 2018

मुखिया के लेटरहेड पर नक्शा पास करा बिल्डर बना रहे हैं अपार्टमेंट

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन अपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन का मामला
- सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को किया सावधान

पंचायतीराज एक्ट, नगर पालिका नियमावली, बिल्डिंग बायलॉज व रेरा एक्ट में बिल्डर, प्रमोटर्स और खरीददारों के लिए किए गए प्रावधान के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। बिल्डरों के आवेदन की बारीकी से जांच कर उन्हें संबंधित प्राधिकार से नक्शा स्वीकृत कराने के बाद ही रजिस्ट्रेशन के लिए आने का निर्देश दिए गए हैं।

अफजल अमानुल्लाह, चेयरमैन रेरा

कहां-कहां हेराफेरी : बिल्डरों ने पटना जिले में तीन नक्शा मुखिया से पास कराकर रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे बिल्डरों में जीवन सागर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, सहोगी मोड़, संपतचक, गया रोड, उज्ज्वल सिटी और आरएन सिटी प्रोजेक्ट, सगुणा मोड़, दानापुर है। इसी तरह का कारनामा बिल्डरों ने भागलपुर और सासाराम में भी किया है।

राज्य ब्यूरो, पटना : सरकार ने बिल्डरों और प्रमोटर्स के खिलाफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को सावधान किया है।

दरअसल, नगर विकास एवं आवास विभाग को बिल्डरों और प्रमोटर्स के खिलाफ हेराफेरी की गंभीर शिकायतें मिली है। बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने कायदे-कानून की अनदेखी कर शहर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया के लेटरहेड पर नक्शा पास कराकर धड़ल्ले से अपार्टमेंट और आवासीय परियोजनाएं बना रहे हैं। ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने रेरा का ध्यान आकृष्ट किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि ऐसी परियोजनाओं का नक्शा स्वीकृत करने से पहले गहन पड़ताल सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया है कि राजधानी पटना के अलावा कई प्रमंडलीय मुख्यालय और जिला मुख्यालय वाले शहर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डर और प्रमोटर्स मुखिया से साठगांठ कर नक्शा पास करा रहे हैं। ऐसे नक्शों के सहारे रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए वे आवेदन कर रहे हैं। पटना के अलावा कई शहरों के लिए सरकार ने बाकायदा आयोजना क्षेत्र घोषित कर रखा है। ऐसे क्षेत्रों में नक्शा पास करने का अधिकार संबंधित आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के पास है लेकिन बिल्डर मुखिया की आड़ में रेरा से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।

कहां-कहां घोषित है आयोजना क्षेत्र : शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पटना के अलावा सात शहरों को व्यवस्थित तरीके से बसाने के लिए उनका प्लानिंग एरिया (आयोजना क्षेत्र) घोषित है। जिन शहरों का विस्तार कर उनके लिए प्लानिंग एरिया निर्धारित किया है, उनमें राजधानी पटना के अलावा आरा, राजगीर, गया, बोधगया, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर व सहरसा शामिल हैं। क्षेत्र में बिल्डिंग बाइलॉज 2014 प्रभावी है। शीघ्र ही पूर्णिया, बेगूसराय, छपरा, दरभंगा और मुंगेर का भी आयोजन क्षेत्र घोषित करने की तैयारी है।